

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2015/पौष 16, 1936

No. 11]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2015/PAUSHA 16, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

सा. का. नि. 11(अ).—केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित प्रारूप नियम जिन्हें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 33 की उपधारा (1) की अपेक्षा अनुसार प्रकाशित किए जाते हैं, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें ये प्रारूप नियम अंतर्विष्ट हैं, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति जो इन प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहता है वह उसे अवर सचिव (औषधि), भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कक्ष संख्या 527-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेज सकता है।

पूर्वोक्त अवधि के भीतर प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 76 में,—
(क) उपनियम (2) में, "अनुसूची ड और" शब्दों और अक्षर का लोप किया जाएगा; और (ख) उपनियम (3) में, "अनुसूची ड और" शब्दों और अक्षर का लोप किया जाएगा।

[सं. एक्स. 11014/6/2014-डीएफक्यूसी]

के. एल. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

G.S.R. 11(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), are hereby published, as required by sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the said Act, and notice is hereby given that draft of the said rules will be taken into consideration on the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Any person who intend to make any objection or suggestion regarding these draft rules, may send the same to the Under Secretary (Drugs) to the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Room No. 527'C', Nirman Bhawan, New Delhi-110011 within the period specified above.

Any objection or suggestion, which may be received within aforesaid period shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

In exercise of the powers conferred by section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (1st Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 76,—
(a) in sub-rule (2), the word and letter "Schedule M and" shall be omitted; and
(b) in sub-rule (3), the word and letter "Schedule M and" shall be omitted.

[No. X. 11014/6/2014-DFQC]

K. L. SHARMA, Jt. Secy.